फर्द अहकाम

छगना बनाम ग्यारसी देवी
सहायक कलक्टर फा० ट्रैक जमवारामगढ़
29/2023

आज्ञा या र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
23	यह वाद वादी की ओर से श्री महेश शर्मा एडवोकेट ने धारा 88 RT Act के तहत पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगणों की तलबी जारी हो पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 17/5/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर	
7/5/23	पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल होने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/7/23 को पेश हो।	

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आदेश 22 नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक), जमवारामगढ़ जिला जयपुर

बईजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S.

राजस्व वाद सं0 39/2023

उनवानः– धन्ना बनाम ग्यारसी वगेरहा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू, मुझ श्री चिमनलाल मीना R.A.S. व हाजरी.....वकील वादियां ....मिनजामिन मुद्दई रूबरू.....प्रतिवादीगण..... के विरूद्ध विचाराधीन वाद में.....मिन जामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि.....ग्राम वाडाडेहरा में वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 82 रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा 78 रकबा 0.2600 हैक्टेयर में हिस्सा 11/26 भाग अनुसार एवं खसरा नं0 80 रकबा 0.03 हैक्टेयर में हिस्सा 7/18 भाग अनुसार वादी को हक खातेदार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं0 78 रकबा 0.2600 हैक्टेयर में हिस्सा 15/26 भाग अनुसार तथा खसरा नं0 80 रकबा 0.03 हैक्टेयर में हिस्सा 1/9 भाग अनुसार प्रतिवादी सं0 1 को हक खातेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी दूरूस्तीकरण करने के आदेश को दिया जाता है। निर्णय किया जाकर डिक्री जारी किया जाता है.....

निजी.....मबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगेरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक .....को अदा करें। वसूलियाव तक .....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर हाजा अदालत में आज तारीख 02.06.2023 को जारी किया।

दस्तखत.....सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

ओहदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सूबत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		

दस्तखत.....

ओहदा.....सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक), जमवारामगढ जिला जयपुर
बईजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S.
राजस्व वाद सं0 39/2023

धन्ना पुत्र भूरा जाति बलाई निवासी बाडाडेहरा तहसील जमवारामगढ जयपुर।
.....वादी

बनाम

1. ग्यारसीदेवी पत्नि देवीसहाय जाति बलाई निवासी बाडाडेहरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

निर्णय
वाद घोषणा खातेदार
धारा 88 आर0टी0ऐक्ट0

दिनांक 02.06.2023

वादी की ओर से एडवोकेट महेश शर्मा नयावास द्वारा दावा हक घोषणा अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि ग्राम बाडाडेहरा पटवार हल्का धौला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नं0 78 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, 82 रकबा 0.1800 हैक्टेयर साबिक खसरा नं0 35/3 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में हिस्सा 1/3 भाग एवं खसरा नं0 35/4 रकबा 2 बिस्वा में हिस्सा 1/9 भाग अनुसार की कृर्षि आराजियात को वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के हित में विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित व पंजिबद्ध किया गया। जो कि दिनांक 21.12.2009 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 14 में पृष्ठ सं0 59 क्रम सं0 2009002653 पर संशोधन पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 55 के पृष्ठ सं0 40 से 47 पर चस्पा किया गया। जिसके अनुशरण में ही प्रतिवादी सं0 1 के खातेदारी अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 का नाम अमलदरामद कराने की अधिकारी है। लेकिन वादग्रस्त आराजियात के नवीन रिकार्ड की नकल लेने पर जानकारी हुई कि साबिक खसरा नं0 35/3 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खसरा नं0 78 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 82 रकबा 0.18 हैक्टेयर किता 2 कुल 0.44 हैक्टेयर सम्पूर्ण को ही प्रतिवादी सं0 1 के नाम वादी के हितों के विरूद्ध इन्द्राज खातेदारी दर्ज कर दिया गया एवं साबिक खसरा नं0 35/4 रकबा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नं0 80 रकबा 0.03 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं0 1 का राजस्व इन्द्राज खातेदारी अंकित ही नहीं किया गया। जो कि वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी एक दूसरे के हितों व हक खातेदारी अधिकारों के विपरित इन्द्राज होने से वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 का इन्द्राज वादी के हक व हितों के विरूद्ध त्रूटिपूर्ण है, जो कि उक्त राजस्व विभाग द्वारा सहवन से कर दिया गया। जिनमें से हिस्सा 1/3 भाग अनुसार प्रतिवादी सं0 1 वर्तमान खसरा नं0 78 रकबा 0.26 हैक्टेयर में हिस्सा 15/26 भाग

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

अनुसार काबिज काश्तकार है एवं वादी खसरा नं0 78 रकबा 0.26 हैक्टेयर में हिस्सा 11/26 भाग अनुसार एवं खसरा नं0 82 रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण अनुसार काबिज काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 80 रकबा 0.03 हैक्टेयर में हिस्सा 1/9 भाग अनुसार प्रतिवादी की खरीदशुदा गै0मु0चाह की भू–संपत्ति है एवं हिस्सा 7/18 भाग अनुसार वादी स्वयं की हकखातेदारी है। जिसके अनुसार ही हक़ खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का वादी अधिकारी है।

उपरोक्त अनुसार वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को जरिये तलबी उपस्थित होने के लिए आदेश पारित किये गये। जिसके उपरांत दिनांक 20.04.2023 को प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये वकील जवाब सहमति बाबत वाद डिक्री प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन कर दिनांक 02.06.2023 को पत्रावली को सुनवाई के लिए रखा गया। जिसमें वकील उभय पक्षों ने उपस्थित होकर वाद में अंकित उक्त कथनों सहित बहस कर वाद में अंतिम रूप से डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

उपरोक्त कथनों अनुसार विचाराधीन वाद में वकील उभय पक्षों द्वारा अपनी अपनी बहस में निष्पादित विक्रय पत्र अनुसार कथन करने पर पत्रावली में शामिल दस्तावेज को मध्य नजर रखते हुए वकील उभय पक्षों की बहस के कथनों पर हमने ब–गौर अवलोकन व मनन किया। जिसके उपरांत वाद में निर्णय व डिक्री पारित करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचाराधीन वाद में वकील उभय पक्षों के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजो व पंजिकृत विक्रय पत्र का अवलोकन किया जाकर ग्राम बाडाडेहरा में वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 82 रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा 78 रकबा 0.2600 हैक्टेयर में हिस्सा 11/26 भाग अनुसार एवं खसरा नं0 80 रकबा 0.03 हैक्टेयर में हिस्सा 7/18 भाग अनुसार वादी को हक खातेदार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं0 78 रकबा 0.2600 हैक्टेयर में हिस्सा 15/26 भाग अनुसार तथा खसरा नं0 80 रकबा 0.03 हैक्टेयर में हिस्सा 1/9 भाग अनुसार प्रतिवादी सं0 1 को हक खातेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी दूरूस्तीकरण करने के आदेश को दिया जाता है। निर्णय किया जाकर वाद डिक्री किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार रिकार्ड कायम किया जावे। भूमिधारी तहसीलदार को निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ, जिला जयपुर